भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3683

उत्तर दिनांक 03/04/2025 को दिया गया

आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में परमाणु रिएक्टर का निर्माण

3683. श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में परमाणु रिएक्टर के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परमाणु रिएक्टर का निर्माण करने वाली कंपनी, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक द्वारा दिवालियेपन की घोषणा से प्रगति प्रभावित हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक कनाडाई कंपनी द्वारा वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक का अधिग्रहण किए जाने से परियोजना को आगे बढ़ाने में किस प्रकार मदद मिलेगी?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा स्थल पर, परियोजना और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कॉलोनी के लिए भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। भूमि के लिए मुआवजे के साथ-साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नकद लाभ (आरएफसीटीएलएआरआर-अधिनियम 2013 के अनुसार) राज्य प्राधिकारियों के माध्यम से वितरित किए गए है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कॉलोनी में विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था राज्य अधिकारियों के साथ की जा रही है।

(ख) वर्ष 2017 में मेसर्स डब्ल्यूईसी द्वारा दिवालियापन की घोषणा से, वर्ष 2016 में उनके द्वारा दिए गए तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव (टीसीओ) पर चर्चा की प्रगति प्रभावित हुई, जिससे एक व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव पर सहमति बनाना कठिन हो गया।

(ग) वर्ष 2018 में दिवालियेपन से उबरने और मेसर्स ब्रुकफील्ड बिजनेस पार्टनर्स, कनाडा द्वारा अधिग्रहण के बाद, मेसर्स डब्ल्यूईसी ने सूचित किया कि पहले प्रस्तुत टीसीओ अब मान्य नहीं है। उन्होंने सीएलएनडी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों का हवाला देते हुए, अभी तक संशोधित टीसीओ प्रस्तुत नहीं किया है। मेसर्स डब्ल्यूईसी से संशोधित टीसीओ की प्रतीक्षा की जा रही है।

*****